न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 19/2013 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– कुलवन्तसिंह पुत्र श्री हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी 14 डी.ओ. एल.ए. पुलिस थाना रावला जिला श्रीगंगानगर।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर जरिये राजकीय अभिभाषक।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :– श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 19.02.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.05.2013, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 5/79 डीएम श्रीगंगानगर को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की स्वीकृति दी गई, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 5/79 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 7906 दर्ज तथा अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.10.2006 तक नवीनीकृत है। अपीलांट ने उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाये जाने के उद्देश्य से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 30.8.2010 को प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 77 दिनांक 2.2.11 में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र 3 वर्ष 10 माह के विलम्ब से प्रस्तुत करने, एवं विलम्ब में हुई देरी के संबंध में कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं करने के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2013 पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 5/79 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किये जाने की अनुशंषा की स्वीकृति दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री सुरेश मोहता ने बहस में मुख्य रुप से कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश में केवल "एज प्रपोज्ड 9/5" लिखते हुए अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया है, जबकि यह आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही पारित किया है, जो खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश ऑर्म्स एक्ट में दिये गये आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 2.2.2011 में उसके विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन न होने, सजायाब न होने के अंकन के साथ उसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत करने की अनुशंषा की गई है। पुलिस की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिससे लोक शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा हो। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सन् 1979 से प्रभावी रहा है यानि करीब 34 वर्षो से प्रभावी है और समय–समय पर नवीनीकृत होता रहा है। प्रार्थी के विरूद्ध शस्त्र दुरूपयोग का या आर्म्स अधिनियम की धारा 17(3) की उप धाराओं a,b,c,d,e तथा धारा 17 के अन्य प्रावधानों/शर्तो के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि अपीलांट के पिता का देहान्त होने तथा माताजी 5–6 सालों से लकवा ग्रसित होने व अपीलांट की बहन छिन्द्रपालकौर के गुर्दे की तकलीफ होने से अपीलांट इनकी सेवा–चाकरी में व्यस्त रहा। अपीलांट के अलावा इनकी सेवा चाकरी करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण की ओर ध्यान नहीं दे सका। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने में अपीलांट ने जानबूझ देरी नहीं की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत करवाने हेतु आवेदन पत्र 3 वर्ष 10 माह के विलम्ब से प्रस्तुत किया है। विलम्ब के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने कोई साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं। विलम्ब के संबंध में शासन के गृह (ग्रुप) विभाग का पत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

क्रमांक प.1(13)गृह–9/2006 पार्ट दिनांक 24.6.11 के अनुसार तीन वर्ष से अधिक विलम्ब वाले प्रकरणों को निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। चूँकि आवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिसके मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश उचित एवं विधि सम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपील अपीलांट अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.5.13 के विरुध्द इस न्यायालय में दिनांक 22.7.13 को 43 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलांट ने मियाद के सम्बन्ध में अवगत कराया अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से प्राप्त हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में अपील अपीलान्ट मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण अनुसार अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 5/79 डीएम श्रीगंगानगर दिनांक 31.10.2006 तक नवीनीकृत था, जिसको आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाये जाने के उद्देश्य से अपीलांट ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 30.8.2010 को प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 77 दिनांक 2.2.11 में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र 3 वर्ष 10 माह के विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं विलम्ब में हुई देरी के संबंध में कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं करने के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय ने द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2013 पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 5/79 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किये जाने की अनुशंषा की स्वीकृति दी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलाट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता का देहान्त होने, माता व बहिन के बीमार होने के कारण उनकी सेवा–चाकरी में व्यस्त रहने के कारण अपीलांट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अपीलांट ने जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है। इस संबंध में विद्वान लोक अभियोजक ने गृह विभाग का परिपत्र दिनांक 24.6.11 का हवाला देते हुए अत्यधिक विलम्ब के लिये शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने के निर्देश को प्रमुखता दी है,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिससे हम सहमत हैं। अपीलांट ने अपने पिता के देहान्त होने व परिजनों के बीमार होने से संबंधित साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किये और हमारे समक्ष भी इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण कराने में अपीलाट द्वारा लापरवाही बरती जानी स्पष्ट है, जो अक्षम्य है।

8. उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2013 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2013 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 19.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर